महिला समानता और संवैधानिक उपबन्ध
(Women's Equality and Constitutional provisions)

अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण (राजनैतिक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर का सुनिश्चितीकरण)

अनुच्छेद 15- लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 15(3)- महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की राज्य को शक्ति

अनुच्छेद 39- आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान।

अनुच्छेद 42- कार्य की न्यायपूर्ण एवं मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सुविधायें।

अनुच्छेद 51(क)- मौलिक कर्तव्यों के तहत महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग की अपेक्षा की जाती है।

महिलाओं के कल्याण हेतु विशिष्ट कानून

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
- दहेज निषेध अधिनियम 1961
- स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम 1986
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

महात्मा गाँधी- "स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूमे और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।"

The End

By :- Sunita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

महिला सशक्तिकरण पर एक नोट

(A note on Women's Empowerment.)

महात्मा गाँधी जी के अनुसार - "स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में महिलायें पर भी ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए जो कि पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुत्र और पुत्री में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए।

संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण

केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधानमण्डलों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक सर्वप्रथम 1996 में संसद में पेश किया गया था। वर्ष 1998 में विधेयक को पास कराने हेतु सभी राजनीतिक दलों में आम राय बनाने का प्रयत्न किया गया जो असफल रहा और तब से लेकर आज तक यह राजनीति का शिकार बना हुआ है।

राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं जीते जा सकने वाले "संसदीय क्षेत्रों से महिला - उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते है। आज भी अधिकांश राजनीतिक दलों में महिला सहभागिता का प्रतीकात्मक महत्व ही अधिक है। संभवतः यही कारण है कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी बिल अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है। राजनीति का शिकार बना हुआ है।